रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032022-234040
SG-DL-E-10032022-234040

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/फाल्गुन 18, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 512
No. 146]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943	[N. C. T. D. No. 512

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2022

सं. फा. 13(85)/2020/एसीएल/1536.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 1 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या फा. 13(16)/96/क0सं0 एवं भाषा/3924 द्वारा अधिसूचित साहित्य कला परिषद में सचिव के पद के लिए भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत साहित्य कला परिषद, एक स्वायत्त निकाय में सचिव के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (1) इन नियमों को सचिव, साहित्य कला परिषद भर्ती नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :–उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि, यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव**:– इन नियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	सचिव
2.	**पदों की संख्या**	:	01* (2022) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी 'क'
4.	**वेतन स्तर**	:	स्तर–12 (78,800 – 209200/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है**	:	लागू नहीं।
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं।
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं।
10.	**भर्ती की पद्धति**	:	प्रतिनियुक्ति (लघु–अवधि संविदा सहित) द्वारा।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है**	:	**प्रतिनियुक्ति (लघु–अवधि संविदा सहित)** केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्रशासित राज्य/ स्वायत निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अनुसंधान संस्थान / विश्वविद्यालय के अधिकारी; क. (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर –11 (67700–208700/– रुपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; अथवा (iii) 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर –10 (56100–177500/–रुपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत सात वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; अथवा (iv) 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर–8

			(47600–151100/–रुपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत दस वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले: **अनिवार्य :** I किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत/नृत्य/नाटक /ललित कला में स्नातक उपाधि । II सरकार में उत्तरदायी पद पर कम से कम आठ वर्ष का प्रशासनिक अनुभव । **वांछनीय :** 1.संगीत / नृत्य /नाटक /ललित कला में प्रतिष्ठित कलाकार द्वारा मान्यता /संस्तुति। 2. कम से कम पांच वर्ष के लिए उक्त कला के प्रति गहरा लगाव एवं समर्पित प्रोन्नति का प्रामाणिक ट्रेक रिकार्ड । 3. सम्मेलन, समारोह, कार्यक्रम, सांस्कृतिक विनिमय के आयोजन का अनुभव । 4. न्यूनतम दो राष्ट्रीय तथा पांच राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन का अनुभव । **टीप–1:** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (लघु–अवधि संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (लघु–अवधि संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी। **टीप–2:** विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**चयन बोर्ड** 1. वित्तीय आयुक्त – अध्यक्ष 2. प्रशासनिक सचिव , कला, सं0 एवं भाषा विभाग–सदस्य 3. विशेष /अपर सचिव (पर्यटन), पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 4. साहित्य कला परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित संगीत/नृत्य/नाटक /ललित कला के क्षेत्र के दो विशेषज्ञ – सदस्य 5. कार्यकारी बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
और उनके नाम पर,

स्वाति शर्मा, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ART, CULTURE AND LANGUAGES

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2022

F.No. 13(85)/2020/ACL/1536.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affair's notification number S.O. 3532 dated the 24th September, 1968 and in supersession of the recruitment rules for the post of Secretary in Sahitya Kala Parishad notified vide notification No. F.13(16)/96/Art, Cul & Lang/3924 dated 1st August, 2007, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Secretary in Sahitya Kala Parishad, an autonomous body under the Department of Art, Culture & Languages, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short Title and Commencement.**

   (1) These rules may called the Sahitya Kala Parishad Secretary Recruitment Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, its classification and level in pay matrix.**

   The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**

   The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**

   No persons, -

   (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**

   Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**

   Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post.	Secretary
2.	Number of Posts.	01* (2022) * Subject to variation depending on workload.
3.	Classification.	Category 'A'
4.	Pay Level.	Level – 12 (Rs. 78800 – 209200/-)
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruits.	Not Applicable

7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not Applicable
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Not Applicable
9.	Period of Probations, if any.	Not Applicable
10.	Method of Recruitment.	By Deputation (Including Short Term Contract)
11.	In case of recruitment, by promotion/ deputation/ transfer grade from which promotion/ deputation/ transfer to be made.	**Deputation (including short term contract)** Officers from the Central/ State Govts./ UTs/ Autonomous Bodies/ PSUs/ Research Institutions/ Universities; (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Pay Level-11 (Rs. 67700-208700) of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with 7 years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Pay Level-10 (Rs. 56100-177500) of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with 10 years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Pay Level-8 (Rs. 47600-151100) of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent in the parent cadre or department; **AND** (b) possessing the following educational qualifications and experience : **Essential:** I. Graduate degree in Music/ Dance/ Drama/ Fine Arts from a recognized University or equivalent. II. Administrative experience of not less than 8 years in responsible position in Govt. **Desirable :** **1**. Recognition/recommended by the eminent artists in the field of Music/ Dance/ Drama/ Fine Art. 2. Proven track record of passionate engagement and dedicated promotion of the said Art for at least 5 years. 3. Experience in organizing conferences, events, programs and cultural exchanges. 4. Experience in organizing minimum two National and five State Level Functions. **Note 1** : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

		Note 2 : The Departmental Officers shall not be eligible for consideration for appointment by deputation.
12.	If a DPC exists, what is its composition.	**Selection Board** 1. Financial Commissioner – **Chairperson** 2. Administrative Secretary of the Department of Art, Culture & Languages, Govt. of NCT of Delhi - **Member** 3. Special/ Additional Secretary (Tourism), Department of Tourism, Govt. of NCT of Delhi – **Member** **4.** Two experts in the field of dance/drama/music/fine art to be nominated by the Chairman of Sahitya Kala Parishad - **Members** 4. One member of the Executive Board - **Member**
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SWATI SHARMA, Secy. (Art, Culture & Languages)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.10 16:46:42 +05'30'